MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON COOPERATION IN THE FIELD OF SPORTS AND YOUTH AFFAIRS BETWEEN THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND

MINISTRY OF YOUTH AND SPORTS OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MAURITIUS

The Ministry of Sports of the Government of the Republic of India and the Ministry of Youth and Sports of the Government of the Republic of Mauritius (hereinafter referred to individually as a "Party" and collectively as "The Parties").

Desiring to promote and strengthen existing bilateral friendly and cooperative relations between them in the field of Sports and Youth Affairs.

Seeking to encourage and develop their amicable relationship through the exchange of programmes aimed at sportsmen and related personnel and youth for mutual benefit; HAVE REACHED the following understanding:

ARTICLE I GENERAL OBJECTIVES

The Memorandum of Understanding (MOU) shall provide the necessary framework for cooperation between the Parties in the field of sports research, development and excellence and youth affairs on the basis of reciprocity and mutual benefit.

ARTICLE II FIELDS OF COOPERATION

In order to fulfill the aforesaid objectives, the Parties will encourage and promote the exchange of programmes, experiences, skills, techniques, information, documentation

and knowledge within the following fields of cooperation in sports and youth affairs:

- a) exchange of youth/junior Sports teams in various disciplines including Hockey,
 Cricket, Volleyball and Badminton;
- b) exchange of officials;
- c) training and research in sciences applied to sports;
- d) exchange and training in the fields of technology, infrastructure, doping, information related to sports, its documentation programme;
- e) youth exchange programme to get acquainted with the youth policies, youth development programmes and youth organizations; and
- f) all other fields and matters deemed necessary and agreed upon for their mutual benefit within the framework of this MOU.

ARTICLE III

FORMS OF COOPERATION

The cooperation within the framework of this MOU shall include

- a) exchange of experts, officials, coaches and teams of various disciplines including Hockey, Cricket, Volleyball and Badminton;
- b) exchange of material for the development of sport programmes;
- c) cooperation in the field of research and science applied to sports;
- d) interaction through meetings, conferences and symposia;
- e) exchange of sports documents and literature; and
- f) exchange of youth delegations comprising of 10 to 20 youth and representatives of youth organizations for a period of 5 to 7 days to get acquainted with youth organizations and youth development programmes.

ARTICLE IV

FINANCING

The exchange of sports delegations, teams, coaches, officials and youth delegations shall be carried out in accordance with an annual schedule that shall be agreed upon by the Parties. The host Party shall pay for accommodation, subsistence, internal transport during the stay of the visiting delegations/teams in the territory of the host Party. The visiting Party shall pay the return air tickets to and from the place determined by the host Party. In the case of travel in furtherance of the interests of only one of the Parties, such Party shall pay all costs.

ARTICLE V

IMPLEMENTATION

The Parties shall agree on the implementation and development of schedules within the framework of this MOU through meetings, mail and other means. Each Party shall be responsible for coordinating the implementation of the parts of the schedule concerning such Party. The Parties shall sign the schedules in the last quarter of the year prior to its implementation.

ARTICLE VI

AMENDMENTS

This MOU may be amended at any time through mutual written consent of the Parties.

ARTICLE VII

DISPUTE RESOLUTION

Any dispute arising in connection with the interpretation or application of this MOU shall be amicably settled through consultations or negotiations between the Parties.

ARTICLE VIII

ENTRY INTO FORCE, VALIDITY AND TERMINATION

This MOU shall enter into force on the date of signature and shall remain valid unless terminated. Either Party may terminate this MOU at any time by giving a notice of six months to the other Party of its intention to terminate this MOU. The programme undertaken during the validity of this MOU shall continue to be governed by its provisions till their completion.

Done in New Delhi on 7th February, 2012 in two originals, each in the English and Hindi languages, both texts being equally authentic and valid. However, in case of doubt regarding interpretation, the English text shall prevail.

(Smt. Preneet Kaur)

Minister of State for External Affairs

Prevent han

For the Ministry of Sports of the Government of the Republic of India

(Dr. Arvin Boolell)

Minister of Foreign Affairs, Regional Integration and International Trade

For the Ministry of Youth & Sports of the Government of the Republic of Mauritius.

खेल एवं युवा कार्यक्रम के क्षेत्र में भारतीय गणतंत्र की सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

तथा

मॉरिशियस गणतंत्र की सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन

भारतीय गणतंत्र की सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा मॉरिशियस गणतंत्र की सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय (यहाँ से आगे एकाकी रूप से ' पक्ष ' तथा साम्हिक रूप से ' पक्षों ' के रूप में संदर्भित होगें)।

खेल एवं युवा कार्यक्रम के क्षेत्रों में वर्तमान द्विपक्षीय मैत्रिक तथा सहकारी संबंधों को बढ़ाना तथा मजबूत करना चाहते है ।

पारस्परिक लाभ हेतु खिलाड़ियों तथा संबंधित व्यक्तियों तथा युवाओं पर केंद्रित कार्यक्रमों के आदान-प्रदान से अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहित एवं विकसित करने की इच्छा करते हुए,

निम्नलिखित समझौते पर पहेंुचे है :

अनुच्छेद I सामान्य उद्देश्य

समझौता ज्ञापन, परस्पर आदान-प्रदान एवं पारस्परिक लाभ के आधार पर दोनों पक्षों के मध्य खेल अनुसंधान, विकास एवं उत्कृष्टता और युवा मामलों में सहयोग हेतु आवश्यक ढ़ांचा उपलब्ध करायेगा ।

अनुच्छेद ।। सहयोग के क्षेत्र

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, दोनों पक्ष खेल एवं युवा कार्यक्रमों में निम्नलिखित सहयोग क्षेत्रों के अंतर्गत कार्यक्रमों, अनुभवों, कौशल, तकनीको, जानकारियों, दस्तावेजों तथा ज्ञान के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित एवं बढ़ावा देंगे ।

- क) हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, एवं बैडमिंटन समेत विभिन्न खेल विधाओं में युवा/कनिष्ठ खेल टीमों का आदान-प्रदान ।
- ख) पदधारियों का आदान-प्रदान ।
- ग) खेल विज्ञान में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान ।
- घ) तकनीक, अवसंरचना, डोपिंग, खेलों से संबधित जानकारी, उनके प्रलेखीकरण कार्यक्रम के क्षेत्रों

में आदान-प्रदान तथा प्रशिक्षण ।

ड.) युवा नीतियों, युवा विकास कार्यक्रमों तथा युवा संगठनों के साथ परीचित होने हेतु युवा आदान-

प्रदान कार्यक्रम ।

च) इस समझौता ज्ञापन के ढांचे के अंतर्गत परस्पर फायदे के लिए सहमत सभी अन्य क्षेत्र एवं

आवश्यक समझे जाने वाले मामले ।

अनुच्छेद III सहयोग के प्रकार

इस एम ओ यू के ढांचे के अंतर्गत सहयोग में सम्मिलित होंगे।

- क) हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल तथा बैडिमंटन समेत विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञों, अधिकारियों, प्रशिक्षकों तथा टीमों का आदान-प्रदान ।
- ख) खेल कार्यक्रमों के विकास हेतु सामग्री का आदान-प्रदान ।
- ग) खेल विज्ञान तथा अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग ।
- घ) बैठकों, सम्मेलनों तथा परिसम्मेलनों द्वारा मेल जोल ।
- ड.) खेल दस्तावेजों एवं साहित्य का आदान प्रदान । एवं
- च) युवा संगठनों तथा युवा विकास कार्यक्रमों से परिचित होने हेतु 10-20 युवाओं का युवा शिष्ट मंडल तथा युवा संगठनों के प्रतिनिधियों का 5-7 दिनों की अवधि हेतु आदान-प्रदान ।

अनुच्छेद IV वित्त पोषण

खेल प्रतिनिधि मंडलों, टीम, प्रशिक्षकों, अधिकारियों तथा युवा शिष्ट मंडलों का आदान प्रदान दोनों पक्षों द्वारा सहमत एक वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार होगा । मेज़बान पक्ष के क्षेत्र में आऐ हुऐ भ्रमणकारी शिष्ट मंडलों/टीमों के आवास, निर्वाह, आंतरिक परिवहन का व्यय मेज़बान पक्ष ही वहन करेगा । मेज़बान पक्ष द्वारा निर्धारित स्थान से आनेजाने की हवाई टिकटों का व्यय भ्रमणकारी पक्ष वहन करेगा । यदि किसी एक पक्ष के हित के लिए यात्रा की जाती है तो, वहीं पक्ष व्यय का वहन करेगा ।

अनुच्छेद V कार्यान्वन

दोनो पक्ष बैठकों, डाक तथा अन्य साधनों द्वारा इस एम ओ यू के ढांचे के अतंर्गत कार्यक्रमों के कार्यान्वन तथा विकास पर सहमत होगें । प्रत्येक पक्ष अपने कार्यक्रमों के भागों के कार्यान्वन हेतु समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा । दोनो पक्ष कार्यक्रमों पर कार्यान्वन से पूर्व वर्ष के अंतिम तिमाही में हस्ताक्षर करेंगें ।

अनुच्छेद VI संशोधन

इस एम ओ यू में पारस्परिक लिखित सम्मित द्वारा किसी भी समय संशोधन किया जा सकता है।

अनुच्छेद VII विवाद समाधान

इस एम ओ यू के निर्वचन या उपयोजन के संबंध में उठे किसी भी विवाद को दोनों पक्षों द्वारा सौहार्दपूर्ण तरीके से मंत्रणा या वार्ता द्वारा सुलझाया जाएगा ।

अनुच्छेद VIII प्रभाव में आना, वैद्यता और, पर्यवसान

यह एम ओ यू हस्ताक्षर की दिनांक से लागू होगा तथा पर्यवसान होने तक वैध रहेगा
। कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को इस एम ओ यू के पर्यवसान की इच्छा से छह माह का
नोटिस देकर किसी भी समय इस एम ओ यू का पर्यवसान कर सकता है। इस एम
ओ यू की वैद्यता के समय में आरंभ कार्यक्रम पूरे होने तक इसके प्रावधानों द्वारा
विनियमित होंगे।

दिनांक 7 फरवरी, 2012 को नई दिल्ली में, दो मूल प्रतियों, अंग्रेजी और हिंदी में, दोनों ही प्रतियाँ विश्वसनीय तथा वैद्य है । तथापि निर्वचन से संबंधित किसी शंका में, अंग्रेजी प्रति ही अभिमानी होगी ।

Thonk

(श्रीमती प्रनीत कौर) विदेश राज्य मंत्री

भारतीय गणतंत्र की सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की तरफ से

(डा० अरविन बुंब्नेल्ल) विदेश, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री

मॉरिशियस गणतंत्र की सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय की तरफ से